कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री यूनाइटेड डेकोरेटिव प्राइवेट लिमिटेड, 46 / 3, साइट-4, U.P.S.I.D.C इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**333 / 08, 28.07.2008**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री यूनाइटेड डेकोरेटिव प्राइवेट लिमिटेड, 46 / 3, साइट-4, U.P.S.I.D.C इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 28.07.2008 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह पूछा गया है कि निर्मित एवं बिक्री की गयी टैक्सटाइल्स पर कर की दर क्या होगी।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 19.12.2013 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थना-पत्र के अतिरिक्त लिखित विवरण भी प्रार्थी द्वारा दाखिल किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वह पोलीयूरीथीन / पोली इथीलीन फोम से लैमिनेटेड टैक्सटाइल का निर्माण एवं बिक्री करते हैं। यह वस्तुएं टैक्सटाइल के अन्तर्गत होने के कारण करमुक्त रहेंगी। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-4 (1) के प्राविजो में यह प्रतिबन्ध है कि शिड्यूल-II के कॉलम-2 में अंकित टैक्सटाइल तथा शुगर पर राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति जारी करने की तिथि से ही कर आरोपित हो सकता है। अत: उनके द्वारा निर्मित टैक्सटाइल पर कोई करदेयता नहीं होनी चाहिए। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि उनके द्वारा टैक्सटाइल का निर्माण किया जाता है जो उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-I की प्रविष्टि संख्या-21 के अन्तर्गत करमुक्त की श्रेणी में आता है। इस प्रकार उनके द्वारा निर्मित टैक्सटाइल को करमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

3. उपरोक्त संदर्भ में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, गाजियाबाद सम्भाग-सी, गाजियाबाद द्वारा पत्र संख्या-780, दिनांक 08.06.2009 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी द्वारा निर्मित वस्तु टैक्सटाइल न होकर लेमिनेटेड टैक्सटाइल है और यह उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-I की प्रविष्टि संख्या-21 पर अंकित टैक्सटाइल से भिन्न है। यह भी कहा गया कि व्यापारी द्वारा निर्मित वस्तु के सन्दर्भ में कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पूर्व में ही उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-28 / 2008 सर्वश्री इण्डियन फुट वियर कम्पोनेन्टस मैन्यूफैक्चर्स एसोसियेशन नेशनल को0 आर्डीनेशन आफिस एफ0 डी0 डी0 आई0 काम्प्लेक्स ए-10 / ए सेक्टर-24 नोएडा के मामले में पारित निर्णय दिनांक 20.02.2008 से स्पष्ट निर्णय दिया है कि कोटेड फैब्रिक 4% की दर से करयोग्य है।

.....2

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-4ए के द्वितीय परन्तुक में अंकित प्रतिबन्ध केवल उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-II में अंकित शुगर एवं टैक्सटाइल के सम्बन्ध में है । वर्तमान में शुगर एवं टैक्सटाइल को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-I में वर्गीकृत किया गया है । अत: उक्त प्रतिबन्ध वर्तमान में लागू नहीं है । यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-II, पार्ट-ए के क्रमांक-119 की प्रविष्टि निम्न भाँति है :-

Narrow woven fabrics, Non-woven fabrics, Cotton Coated fabrics

उक्त में Cotton Coated fabrics स्पष्ट रूप से अंकित है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-I के क्रमांक-21 पर अंकित टैक्सटाइल में प्रार्थी द्वारा निर्मित टैक्सटाइल सम्मिलित नहीं है । उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-28 / 2008 सर्वश्री इण्डियन फुट वियर कम्पोनेन्टस मैन्यूफैक्चर्स एसोसियेशन नेशनल को0 आर्डीनेशन आफिस एफ0 डी0 डी0 आई0 काम्प्लेक्स ए-10 / ए सेक्टर-24 नोएडा के मामले में पूर्व में ही यह निर्णय दिया जा चुका है कि पोलीयूरीथीन / पोली इथीलीन फोम से लैमिनेटेड टैक्सटाइल फैब्रिक 4% की दर से करयोग्य है । अत: पुन: इस बिन्दु पर करदेयता स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, गाजियाबाद सम्भाग-सी, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया । पाया गया कि प्रार्थी द्वारा पोलीयूरीथीन / पोली इथीलीन फोम से लेमिनेटेड टैक्सटाइल फैब्रिक पर कर की दर जाननी चाही गयी है जिसके सम्बन्ध में पूर्व में 4% की दर से करदेयता का निर्णय दिया जा चुका है । पुन: इस बिन्दु पर करदेयता की स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 24 जनवरी, 2014

ह0 / 24.01.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।